207

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर -- दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 20, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्रीमती उर्मिला सिंह, राज्यमंत्री, डेयरी विकास, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित भोपाल, समापक का लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगी.

(2) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1994-95) तथा लोक आयुक्त संगठन का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 व्याख्यात्मक ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. अशोक साबले, सदस्य, बैतूल जिले के चिचौली में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बाबूलाल गौर, बृजमोहन अग्रवाल, रामलखन शर्मा, सदस्य, राज्य शासन द्वारा बस्तर वुड प्रोडक्ट कारखाने को बंद करने के निर्णय से श्रमिकों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों के प्रकोप तथा चिकित्सा अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, रविन्द्र चौबे, गौरीशंकर बिसेन, नेमीचन्द जैन, धनेश पटिला, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री बनवारीलाल अग्रवाल तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

5. प्रतिवेदन पर चर्चा

निर्धारित समय 1 घन्टा

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का ग्यारहवां और बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 पर चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 10 दिसम्बर, 1995

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा